

**झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।**

अधिसूचना

राँची, दिनांक- 27/11/2025

संख्या-11/स्थांराज-09/2025-7197/ संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा-2023 के आधार पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में निम्नांकित अभ्यर्थियों को झारखण्ड प्रोबेशन सेवा में मूल कोटि के वेतनमान (रु० 9300-34,800/-ग्रेड पे-4800 रु०, सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान पे मैट्रिक्स लेबल-8) में इन्ट्री वेतन पर एवं सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमान्य अन्य भत्तों के साथ परीक्ष्यमान प्रोबेशन पदाधिकारी के रूप में औपबंधिक रूप से नियुक्त करते हुए प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु झारखण्ड पुलिस अकादमी, हजारीबाग में पदस्थापित किया जाता है :-

क्रम सं०	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	जन्म तिथि	स्थायी पता
I	II	III	IV	V
1.	23365146	NISHA GOPE	03.05.1996	D/o- Sri Narayan Gope, Vill.-Chhotalakha, P.O.-Bhadudih, Panchayat-Bhadudih, P.S.- Chandil, Distt.-Seraikela Kharsawan, PIN-832401
2.	23272548	AKASH KUMAR SINGH	17.11.1999	S/o- Sri Vidya Sagar Singh, Vill+P.O.-Dharampura, Uttartola, P.S.- Daudpur, Distt.-Saran, Bihar, PIN-841201
3.	23269908	GOPAL KUMAR SINGH	21.02.1995	S/o- Sri Ranvijay Singh, Address: Room No.-316, Vivekanand Hostel, Kanchanpur NTPC Township, Gharghoda, Raigarh, Chhattishgarh, PIN-496111
4.	23237597	RUMKI KUMARI	10.02.1995	Rumki Kumari, D/o-Sri Tulsi Paswan, Vill.-Ambadih, P.O.-Markacho, Distt.-Koderma, PIN-825318
5.	23186793	MANILA ORAON	12.09.1997	D/o-Sri JaiRam Oraon, Address: Bajra Kumba Toli, Near-Jaslok Hospital, Itki Road, Hehal, Pole No.-17, Ranchi, PIN-834005
6	23309719	GAUTAM KUMAR	24.12.1988	Gautam Kumar, S/o- Sri Ram Pyare Singh, Vill+P.O+P.S.-Dandai, Distt.-Garhwa, PIN-822114

(क) अभ्यर्थी की परीक्ष्यमान अवधि नियुक्ति की तिथि से दो वर्षों की होगी तथा परीक्ष्यमान अवधि में संतोषप्रद सेवा नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकती है या परीक्ष्यमान अवधि को बढ़ाया जा सकता है।

(ख) इस अधिसूचना की क्रम संख्या वरीयता सूची/मेधा क्रमांक नहीं है।

(ग) सभी नवनियुक्त पदाधिकारी दिनांक-29.11.2025 के पूर्वाह्न में झारखण्ड पुलिस अकादमी, हजारीबाग में अनिवार्य रूप से योगदान करना सुनिश्चित करेंगे।

(घ) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-5797, दिनांक-03.10.2025 के क्रम में यदि कोई नवनियुक्त अभ्यर्थी अधिसूचना निर्गत की तिथि से तीन माह के अन्दर झारखण्ड पुलिस अकादमी, हजारीबाग में योगदान नहीं करेंगे, तो वैसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

(ङ) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-5524, दिनांक-18.09.2025 एवं पत्रांक-6800, दिनांक-21.11.2025 के क्रम में झारखण्ड असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 2023 द्वारा चयनित सभी पदाधिकारियों को दिनांक-16.12.2025 से 06 (छः) सप्ताह का संयुक्त आधारभूत संस्थागत प्रशिक्षण श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची के तत्वाधान में दिया जायेगा।

(च) समर्पित प्रमाण पत्रों में भविष्य में जाँचोपरान्त किसी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर उनकी नियुक्ति नियमानुसार रद्द की जा सकती है।

(छ) वैसे अभ्यर्थी जिनके प्रमाण पत्रों में आंशिक विसंगतियाँ हैं, की नियुक्ति इस शर्त के साथ की जाती है कि विसंगतियों का संतोषजनक निराकरण एक माह में नहीं होने पर उनकी नियुक्ति रद्द की जा सकती है।

(ज) योगदान देते समय कार्मिक विभाग के संकल्प संख्या-1919, दिनांक-28.01.76 द्वारा दहेज न लेने से संबंधित घोषणा पत्र एवं अधिसूचना संख्या-5437, दिनांक-09.09.2010 एवं 9519, दिनांक-22.09.2014 के आलोक में चल-अचल सम्पत्ति का ब्यौरा विहित प्रपत्र में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।

(झ) योगदान के समय पूर्व नियोक्ता द्वारा निर्गत विरमन आदेश (Relieving Order) की मूल प्रति/पूर्व सेवा से त्यागपत्र की प्रति अनिवार्य रूप से समर्पित करना होगा।

(ञ) योगदान देते समय अभ्यर्थी को असैनिक शल्य चिकित्सा-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, हजारीबाग द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ट) नियुक्ति विभाग, राज्य सरकार के पत्रांक-5817, दिनांक-03.05.1963 के आलोक में चरित्र प्रतिवेदन एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल पाये जाने पर एक महीने की सूचना पर सेवा समाप्त की जा सकती है।

liw

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(संतोष कुमार सिन्हा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-11/स्थांराज०-08/2025-7197/राँची,

दिनांक-27/11/2025

प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची/ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची /उप-सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

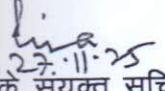
ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-11/स्थांराज०-08/2025-7197/राँची,

दिनांक-27/11/2025

प्रतिलिपि- माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव/संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची/महानिदेशक श्री कृष्ण लोक प्रशासन/संस्थान, राँची/महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची/संबंधित अभ्यर्थी/नोडल पदाधिकारी, विभागीय पोर्टल/नोडल पदाधिकारी, HRMS, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची एवं संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


27.11.25
सरकार के संयुक्त सचिव।

6334/2021
3/10/21

पत्र संख्या :- 11/लो०सी०आ०-01-03/2020 (खण्ड) का० 5797/(2021)

आरखण्ड सरकार
वर्गिक, प्रशासनिक सुधार तथा जनसम्पर्क विभाग

सेवा में,

अमर कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सूचना
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/
वित्त विभाग/वाणिज्य कर विभाग/स्वास्थ्य एवं मद्य निषेध विभाग/
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग/
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग/बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग/
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग/सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
आरखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक :- 03/10/25

विषय :- The Jharkhand Combined Civil Services Examination Rules, 2021 के नियम-37 के प्रावधानों से उद्भूत स्थितियों के संबंध में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि The Jharkhand Combined Civil Services Examination Rules, 2021 का नियम-37 निम्नवत् है:-

"37. A candidate shall be given maximum three month's time to present himself for joining. If for any reason a candidate does not join the service or does not obtain leave for delayed joining then his/her recommendation shall be cancelled and the respective vacancy shall be added to the next year's requisition"

उपरोक्त नियम से स्पष्ट है कि किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के उपरान्त नियुक्त पद पर योगदान करने के लिए अधिकतम 3 माह का समय दिया जाना है। तदोपरांत योगदान नहीं करने वाले अभ्यर्थी की अनुशंसा को निरस्त करते हुए उक्त रिक्त हुए पद को आगामी अधियाचना में सम्मिलित किये जाने का प्रावधान है।

उल्लेखनीय है कि The Jharkhand Combined Civil Services Examination Rules, 2021 के नियम-37 में संशोधन का प्रस्ताव विचाराधीन है।

उक्त क्रम में अनुरोध है कि वर्ष 2021 से अबतक आरखण्ड लोक सेवा द्वारा आयोजित आरखण्ड संयुक्त असेनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षाओं को दृष्टांत में रखते हुए विहित प्रपत्र में प्रतिबंधन यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक :- विहित प्रपत्र।

विश्वराभाजन।

अमर कुमार
(अमर कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

6/10/21

6/10/21

6/10/21

पत्र संख्या :- 06/लो०से०आ०-01-06/2025 का०.....6.8.90../

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

अमर कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव,

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग/वाणिज्य कर विभाग/
उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग/कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग/
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक :- 21/11/25

विषय :- झारखण्ड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 2023 (विज्ञापन सं०-01/2024)
के तहत नियुक्ति पत्र प्राप्त अभ्यर्थियों के संयुक्त आधारभूत संस्थागत प्रशिक्षण के
संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि झारखण्ड संयुक्त असैनिक सेवा
प्रतियोगिता परीक्षा, 2023 (विज्ञापन सं०-01/2024) के तहत अनुशंसित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र
प्राप्ति के उपरान्त श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची में छः (06) सप्ताह का संयुक्त आधारभूत
संस्थागत प्रशिक्षण दिनांक-16.12.2025 से प्रारंभ किया जायेगा।

अतएव अनुरोध है कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई पूर्ण करते हुए संबंधित नियुक्ति
पत्र प्राप्त अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि दिनांक-16.12.2025 को श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची
में ससमय योगदान देने हेतु अपने स्तर से सूचित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन


21/11/2025
(अमर कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।